



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ - 226001

दूरभाष: पी०बी०एक्स०-2622363, 2627111

फैक्स: 0522-2615526, 2628841, 2623578

23

पत्र संख्या 2056/अ+५२२/14-५६२८८५

दिनांक 3 जून, 2014

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ०प्र० परिवहन निगम

विषय: वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली (VTS) के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 2025/कम्प्यूटर-46 आई०टी०एम०एस० दिनांक 25.05.2014 एवं 260आर डब्लूए/14-3A/दुर्घ० दिनांक 26.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से आई०टी०एम०एस० परियोजना के अर्न्तगत वी०टी०एस प्रणाली के उपयोग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश व बस से दुर्घटना के विषय में समीक्षा करने के निर्देश प्रेषित किये गये हैं। बसों के संचालन में विभिन्न बिन्दुओं यथा आपदा प्रबन्धन, गति नियन्त्रण, समयबद्ध संचालन, अनाधिकृत ठहराव, संचालित कि०मी० का प्रमाणीकरण व दुर्घटना इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निम्नवत है।

1. आपदा प्रबन्धन

वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली में स्थापित SOS बटन किसी आपदा जैसे दुर्घटना, ब्रेकडाउन, राहजनी, तोड़फोड़, आगजनी आदि में तत्काल सहायता प्राप्त करने हेतु करना है। इससे प्राप्त SMS/ALERT के आधार पर क्षेत्र द्वारा निकटस्थ डिपो के माध्यम से 15 मिनट के अन्दर आवश्यक सहायता संबंधित वाहन को उपलब्ध कराने के साथ ही सम्बन्धित जिला पुलिस/प्रशासन को सूचित कर पूर्ण विवरण व कृत कार्यवाही की सूचना 1 घंटे के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करना निर्धारित है। इसका उद्देश्य गम्भीर परिस्थितियों में आपदा प्रबन्धन प्रदान कर यात्रियों की सुरक्षा करना है। महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

2. गति नियंत्रण

वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली से संचालित वाहनों की तीव्र गति (Over speeding), ब्रेक की गलत उपयोग (Harsh breaking), ऐक्सीलेटर का गलत उपयोग (Harsh acceleration) की सूचनाओं के आधार पर सम्बन्धित चालकों को सचेत करने तथा पुर्नवृत्ति के आधार पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना निर्धारित है। इससे दुर्घटनाओं की संख्या विशेषकर गम्भीर व फेटल दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाया जाना लक्षित है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करायी जा सके। क्षेत्रों द्वारा इसके दैनिक अनुश्रवण व कृत कार्यवाही की सूचना प्रेषित करना तथा मासिक दुर्घटना सूचना में उक्त कार्यवाही का उल्लेख कर इस प्रणाली के उपयोग से दुर्घटना दर में कमी पर एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी भी प्रेषित करनी होगी।

3. समयबद्ध संचालन

वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से सेवाओं के निर्धारित शिड्यूल के सापेक्ष समयबद्ध संचालन व विलम्ब की दैनिक समीक्षा का सेवाओं की समयशीलता व विश्वसनीयता बढ़ाना निर्धारित है। प्रायः प्रारम्भिक स्टेशन से विलम्ब से संचालित सेवाओं के समयबद्ध संचालन अथवा आवश्यक शिड्यूलिंग कराकर इसका समयबद्ध संचालन सुनिश्चित किया जाए।

4. अनाधिकृत ठहराव/ यात्री प्लाजा

वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली के माध्यम से दैनिक रूप से विभिन्न बसों द्वारा अनाधिकृत रूप से विभिन्न स्थानों पर ठहराव की स्थिति की समीक्षा की जाती है। इससे जहां एक ओर अवांछित स्थलों पर वाहन के अनावश्यक ठहराव की पहचान में कमी आयेगी, वहीं दूसरी ओर इसके संचालन को सप्रयत्न करने हेतु संचालक दल द्वारा तीव्र गति से संचालन करने पर भी अंकुश लगेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि बसे निगम द्वारा चिह्नित स्थल/ यात्री प्लाजा पर ही रुकें।

5. संचालित कि०मी० का प्रमाणीकरण

सभी क्षेत्रों के सेवा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सेवाओं के दैनिक संचालित कि०मी० का प्रमाणीकरण उस सेवा के वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली से प्राप्त कि०मी० के आधार पर ही अनिवार्य रूप से किया जाय। इससे कि०मी० का सत्यापन व ईंधन खपत दोनों में बचत सम्भव होगी। किसी भी दशा में वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली से प्राप्त कि०मी० से भिन्न कि०मी० का ड्यूटी रिलप व डीजल हेतु अंकन किये जाने के क्रम में डिपो के परिवेक्षीय अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर कृत कार्यवाही सहित प्रमाणित किया जायेगा। इस प्रक्रिया से विचलन हेतु उत्तरदायी उपाधिकारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति का आधार होगा।

6. दुर्घटना

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के सम्बन्ध में वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली पोर्टल से अमुक बस की गति का इतिहास डाउनलोड करके उसकी समीक्षा कर यदि दुर्घटना तीव्र बस चालन से हुई है तो उत्तरदायी कर्मचारी को दण्डित करने की कार्यवाही अवश्य की जाये। वैकिल ट्रेकिंग प्रणाली से प्राप्त सूचना से कोर्ट के प्रकरणों/वादों के निरस्तारण में भी मदद मिलेगी। सभी स्टेशनों पर दुर्घटना की सूचना नोटिस बोर्ड पर डिस्टले की जायेगी तथा चालकों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक, निगम मुख्यालय।
2. मु०प्र०प्र०(प्रशा०/संचा०/प्रावि०), निगम मुख्यालय।
3. समस्त नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय।
4. वित्त नियंत्रक, निगम मुख्यालय।
5. परियोजना दल आई०टी०एम०एस० व परियोजना प्रबन्धक, आई०टी०एम०एस०।
6. मेसर्स ट्राईमेक्स को आवश्यक सहयोग हेतु।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक